राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–3/शिकायत)विभाग

क्रमांकः प02(2)(29)का/क–3/शिका/2016 जयपुर, दिनांक 23/8/19

आदेश

डॉ. पार्थ सारथी अरोड़ा, तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, वैर, भरतपुर को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा पंजीबद्ध अपराध संख्या 72/16 अन्तर्गत धारा 7, 13(1)(डी) एवं 13 (2) एवं भारतीय दण्ड संहिता 120बी में 48घंटे से अधिक पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में रखे जाने पर समसंख्यक आदेश दिनांक 09.06.16 द्वारा दिनांक 04..04.16 से निलम्बित (Deemed to have been suspended) किया गया।

राज्य सरकार डॉ. पार्थ सारथी अरोड़ा, तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, वैर, भरतपुर (हाल निलम्बित) को रिव्यू कमेटी दिनांक 24.06.19 की अभिशषानुसार एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से निलम्बन से बहाल करती है।

डॉ0 पार्थ सारथी अरोड़ा की निलम्बन अवधि का नियमन इनके विरूद्ध न्यायालय में लम्बित प्रकरण के निर्णयानुसार गुणावगुण के आधार पर किया जाएगा।

राज्यपाल महोदय के आदेश से

(जय सिंह)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–
1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
4. अति.मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वा0 विभाग को प्रेषित कर निवेदन है कि निलंबन से बहाल किये जाने वाले अधिकारी को घटना स्थल वाले सभाग से पृथक सभांग में पदारस्थापित किया जावें एवं उन्हें संवेदनशील पदो पर नियुक्ति नही दी जावें।
5. महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज0 जयपुर ।
6. डॉ. पार्थ सारथी अरोड़ा, तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, वैर, भरतपुर, द्वारा अति.मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वा0 विभाग ।
7. कार्मिक (क–1/गो.प्र.) विभाग।
8. कोषाधिकारी, जयपुर।
9. पत्रावली संख्या प.8(1)(1)का/क–3/शि./16 के लिए।
10. रक्षित पत्रावली।

(एन.एल.राव)
सहायक शासन सचिव

PTO

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमाक – सीवी/सीएएस/पी–211/2019/812 दिनाक : 1/10/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 शासन सयुक्त सचिव, कार्मिक (क–3/शिका.) विभाग, राज. जयपुर के आदेश क्रमाक प. 2(2)(29)कार्मिक/क–3/शिका/2016 दिनांक 23.08 2019 के क्रम में।

2 शासन उप सचिव, चिकित्सा एव स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग, राज जयपुर के क्रम मे।

3 सयुक्त निदेशक, चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवायें, जोन भरतपुर।

4 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर।

5 डॉ0 पार्थ सारथी अरौडा, तत्का. चिअ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, वैर जिला भरतपुर हाल निलम्बित मुख्यालय को निर्देशित किया जाता है कि आप अपनी उपस्थिति प्रतिवेदन एटी, अनुभाग राजपत्रित निदेशालय मे प्रस्तुत करे।

6 आहरण एव वितरण अधिकारी, मुख्यालय।

7 अति0 प्रशासनिक अधिकारी, राजपत्रित सस्थापन/एटी अनुभाग, मुख्यालय।

8 प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाईड पर आज ही अपलोड करावे।

9 आदेश/रक्षित पत्रावली।

अति0 निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।